तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
31/3/21	पत्रावली पेश हुई। अनुपालन तामील उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश~~ / अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/4/21 को पेश हो। A
अजय कुमार शर्मा रविप्रकाश	12/4/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। प्रतिवादी सं. 1 की ~~ओर से पेशशुदा~~ तामिल सम्यक रूप से हो चुकी है। बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील वादीगण की ओर से मुख्य परीक्षण हेतु पेशशुदा शपथ-पत्र PW1, PW2 को अभिलेख पर लिया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गयी। बरवक्त बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात, मुख्य परीक्षण हेतु पेशशुदा शपथ पत्रों आदि का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादीगण के पति। पिता का नाम समस्त दस्तावेजों यथा पहचान पत्र, राशनकार्ड आधार आदि में सत्यनारायण ही दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत नीमेडा ने भी प्रमाण पत्र जारी कर उक्त तथ्य की ताईद की है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर वाद, वादीगण

Scanned by TapScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व ... अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि:- आदेश तन ग्राम नौरंगपुरा प० ह० नीमेडा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 204, 205/1 के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का गलत दर्ज नाम "सीताराम" के स्थान पर वास्तविक, सही नाम "सत्यनारायण" दुरूस्त व सम्मानजनक नाम "सत्यनारायण" दुरूस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/5/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राकेश कुमार) RAS सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला।	